मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक /NR-3/Tech./2010 भोपाल, दिनांक /06/2010

प्रति,

1 कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.– म.प्र.
जिला–सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, दतिया।

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिए बुन्देलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का क्रियान्वयन।

––:0:––

म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. के पत्र कमांक 6127/NR-3 /Tech./2010 भोपाल, दिनांक 17 जून, 2010 की कंडिका 7.4 में लेख है कि ''ग्राम पंचायत में कंडिका 6.1 के कूपों की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कपिलधारा कूप के स्थलों का निरीक्षण किया जावेगा।''

कंडिका 7.4 के संबंध में लेख है कि निरीक्षण के लिए उक्त कर्मचारियों के अलावा अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की आवश्यकता हो जैसे कि पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी आदि, तो कर्मचारियों/अधिकारियों को निरीक्षण के लिए लगाया जा सकता है। सर्वे दल गठित करने हेतु अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रदत्त किए जाते हैं।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्रमांक /NR-3/Tech./2010 भोपाल, दिनांक /06/2010

<u>प्रतिलिपिः</u>–

आयुक्त, संभाग–सागर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद